

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 58 / 2024

रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 57

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री राजमल जैन पुत्र श्री नाथुलाल जैन निवासी
जैन मन्दिर के पास खोडन, बांसवाड़ा (विक्रेता /
मालिक) मैसर्स अरिहन्त जनरल स्टोर, गांव
खोडन, तहसील गढी, बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 03-09-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 09-04-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 30-05-2023 को 5.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स अरिहन्त जनरल स्टोर, गांव खोडन, तहसील गढी पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री राजमल जैन पुत्र श्री नाथुलाल जैन उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स अरिहन्त जनरल स्टोर, गांव खोडन, तहसील गढी का निरीक्षण करने पर दुकान में घी (परम) 1 लीटर सिक्का पैकिंग के 10 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त घी (परम) एफ.एस.एस.ए. के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए घी (परम) के 1 लीटर के 4 पैकेट कुल 4 लीटर वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 2120/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा घी (परम) के 4 पैकेट प्रत्येक 1 लीटर वजनी के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ. एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1434 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर निम्नानुसार सील चपड़ी किया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूने पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक सिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जगा करवाया।


अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/353 दिनांक 07-07-2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 619 दिनांक 13-06-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया घी (परम) का नमूना कोड क्रमांक **W-1434** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा घी (परम) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09-04-2024 को दर्ज रजिस्ट्रार किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 20-05-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/353 दिनांक 07-07-2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 619 दिनांक 13-06-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया घी (परम) का नमूना कोड क्रमांक **W-1434** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है।

प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया गया इसी स्थिति में अब किसी अन्य



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बॉसवाडा (राज.)

साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण अपराध का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया घी (परम) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। निम्न जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अपराधी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री राजमल जैन पुत्र श्री नाथुलाल जैन निवासी जैन मन्दिर के पास खोडन, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स अरिहन्त जगरल स्टोर, गांव खोडन, पोस्ट खोडन गढी, बांसवाडा (राज.) को रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मसूमे 10-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राशि को जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 03-09-2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
जिला न्यायालय
(अतिरिक्त जिला न्यायाधीश)
बांसवाड़ा (राज.)